दिनांक 22.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बहराइच/थाना रिसिया

- **20 हजार रूपये व 15 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 12 मोटर साइकिल**
- **नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2025 की रात्रि थाना रिसिया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बलिदान पुरवा मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–शहादत 3–राशिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 12 मोटर साइकिल, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवम के विरूद्ध जनपद बहराइच व उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 06 अभियोग एवं अभियुक्त शहादत के विरूद्ध जनपद बहराइच के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 03 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त शिवम, शहादत शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त शिवम पर 20 हजार रूपये एवं अभियुक्त शहादत पर 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बहराइच पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शिवम निवासी पंडितपुरवा दा0 कोदही थाना बौण्डी जनपद बहराइच।

2–शहादत निवासी डिहवा शेरबहादुरसिंह थाना कैसरगंज जनपद बहराइच।

3–राशिद निवासी रामजानकी नगर थाना इन्दिरानगर कमिश्नरेट लखनऊ।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी की 12 मोटर साइकिल।

2–नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–142</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये कीमत के सोने के सिक्के**
- **चोरी के 05 लाख 71 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 22.08.2025 को थाना सेक्टर–142 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्रीन बेल्ट गेट के पास से अभियुक्त कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये कीमत के सोने के सिक्के, चोरी के 05 लाख 71 हजार 200 रूपये नगद आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.08.2025 को थाना सेक्टर–142 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–142 पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद सिक्के, रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–142 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–कृष्ण कुमार निवासी ग्राम भालुहीपुर थाना टाउन भोजपुर बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 80 लाख रूपये कीमत के सोने के सिक्के।

2–चोरी के 05 लाख 71 हजार 200 रूपये नगद आदि।

जनपद बांदा/थाना बबेरू

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **05 जीवित/खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 21.08.2025 को थाना बबेरू पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम निभोर गड़रा नाला पार शहीदन डेरा के पास जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त रामभजन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 जीवित/खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बांदा के थाना बबेरू पर आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बबेरू पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– रामभजन निवासी तरसियन डेरा थाना बबेरू जनपद बांदा।

बरामदगी

1–08 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–05 जीवित/खोखा/मिस कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद हाथरस/थाना सिकन्द्राराऊ

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 07 ट्रैक्टर, 02 ट्राली आदि बरामद**

दिनॉकः 21.08.2025 को थाना सिकन्द्राराऊ व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अनाज मण्डी के निकट सर्विस रोड के पास से 02 अभियुक्तों

1–सनी 2–राजा खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 07 ट्रैक्टर, 02 ट्राली आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सनी निवासी नौजलपुर थाना सासनी जनपद हाथरस।

2–राजा खान निवासी नगला भूरा थाना सासनी जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी की 07 ट्रैक्टर, 02 ट्राली आदि।

जनपद अयोध्या/थाना गोसाईगंज

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कुन्तल 77 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 21.08.2025 को थाना गोसाईगंज, थाना महराजगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीटी तिराहा के पास से 05 अभियुक्तों 1–राजेश कुमार 2–अंशु 3–मुकेश कुमार 4–मनीष 5–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कुन्तल 77 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजेश कुमार निवासी भीटीरोड कस्बा व थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

2–अंशु निवासी भीटीरोड कस्बा व थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

3–मुकेश कुमार निवासी भीटीरोड कस्बा व थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या।

4–मनीष निवासी दलपतपुर थाना महराजगंज जनपद अयोध्या।

5–अभियुक्ता

बरामदगी

1–01 कुन्तल 77 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद सहारनपुर/थाना नानौता

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 15 लाख रूपये नगद**
- **01 लैपटॉप, 03 चेकबुक, 02 आधार कार्ड, 01 पैनकार्ड**
- **01 नेक्सआन कार आदि बरामद**

दिनांक 21.08.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम जन्धेड़ी डेरा पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों 1–भवर सिंह उर्फ सुरज 2–अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 15 लाख रूपये नगद, 01 लैपटॉप, 03 चेकबुक, 02 आधार कार्ड, 01 पैनकार्ड, 01 नेक्सआन कार आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जय एग्रो बायो नाम की कम्पनी के माध्यम से जैविक खाद बनाने के नाम पर धोखाधड़ी की घटना कारित की जाती है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया धोखाधड़ी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नानौता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भवर सिंह उर्फ सुरज निवासी ग्राम रणदेवा थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

2–अमित निवासी ग्राम असदपुर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–धोखाधड़ी के 15 लाख रूपये नगद।

2–01 लैपटॉप, 03 चेकबुक, 02 आधार कार्ड, 01 पैनकार्ड।

3–01 नेक्सआन कार आदि।

- **<u>जनपद एटा/थाना जैथरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना जैथरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452/506 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनुज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अलीगढ़/थाना गाँधीपार्क (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना गाँधीपार्क पर पंजीकृत अभियोग में धारा 452 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त आकाश को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना सकीट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना सकीट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/504 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त दुष्यंत प्रताप को 10 वर्ष के कारावास व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 18 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366/323 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त गुड्डू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————